ऑन लाईन न. **RCMS 2022/248**

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड, आर0ए0एस0

अपील इंतकाल प्रकरण सं0 34 / 2022

1. श्री कृष्णलाल उर्फ किशन लाल पुत्र श्री लालचन्द जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 13, पदमपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर **अपीलांट**

बनाम

1. दीक्षा सेतिया पत्नी श्री दीपक खुराना जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 13, पदमपुर हाल आबाद वार्ड नम्बर 01, भवानी चौंक, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। **रेस्पोडेन्टस**

उपस्थित : 1. श्री विक्रम बिश्नोई , अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री प्रदीप सिहाग, अधिवक्ता, रेस्पो.

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार भू–अभिलेख पदमपुर प्रकरण संख्या 49 / 2022 अनवानी सरकार बनाम कृष्णलाल वगैरा , किस्म बाद वसीयत, निर्णय दिनांक 21.10.2022 जिसकी रूह से अपीलांट का वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का आदेश पत्र खारिज किया गया को निरस्त करने हेतू।

आदेश दिनांक : 12.09.2023

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि वाके चक 20 बी. बी. सैकिण्ड तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 82 हाल 36 में 23 बीघा 14 विस्वा में 1 / 4 हिस्सा दीपक खुराना पुत्र श्री कृष्णलाल उर्फ किशनलाल का था। दीपक खुराना को उक्त भूमि अपने दादा स्व. लालचन्द पुत्र श्री कुशाल दास से वसीयत से प्राप्त हुई थी और दीपक खुराना ने अपने 1 / 4 हिस्से की वसीयत दिनांक 04.01.2021 को बरोबरू गवाहान पूर्ण होश, हवास से बिना जबर दबाव के व स्वेच्छा से स्वस्थचित से अपीलांट के हक में निष्पादित कर दी थी और इस वसीयत को नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवा दिया था। दीपक खुराना का स्वर्गवास दिनांक 17.08.2021 को होने से उक्त वसीयत प्रभावी हो गयी थी और अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनाक 05.08.2022 उक्त वसीयत के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाने हेतू आवेदन पत्र पेश किया था। इस पर प्रकरण संख्या दर्ज किया जाकर हल्का पटवारी से रिपोर्ट ली और आम सूचना प्रकाशित की, रिपोर्ट पटवारी में अपीलाधीन भूमि चक 20 बी.बी. सैकिण्ड के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 2 ता 25 की 5.996 हैक्टर नहरी भूमि में 1 / 4 हिस्सा मृतक दीपक खुराना पुत्र कृष्णलाल उर्फ किशन लाल का होना और भूमि पर अपीलांट के काबिज होने की रिपोर्ट की थी। अपीलांट ने साक्ष्य में वसीयत के दोनो गवाहान दिनेश कुमार व गौरव मिगलानी के बयान वसीयत की पुष्टि में करवाये और उक्त दोनो गवाहान ने वसीयत की पुष्टि की,

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

वसीयत के गवाहान से मृतक द्वारा वसीयत की जानी साबित थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से अपीलांट का वसीयत के आधार पर इंतकाल करवाने का प्रार्थना पत्र खारिज कर विधिक वारिसान के नाम नामान्तरण दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जिससे अपीलांट व्यथित है और इस आदेश को अपीलांट अन्य आधारों के साथ निम्न आधारों पर चुनौती दे रहा है।

1. खातेदार दीपक खुराना ने दिनांक 04.01.2021 को अपीलाधीन भूमि की वसीयत बरोबरू गवाहान अपीलांट के हक में निष्पादित कर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवा दी थी। वसीयत के प्रकरण में वसीयत के दोनो गवाह अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए और मृतक दीपक खुराना द्वारा अपीलांट के हक में वसीयत करने की अपनी साक्ष्य दी थी, वसीयत के गवाहान की इस साक्ष्य से अपीलांट के हक में वसीयत की जानी साबित थी। अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत के गवाहान की साक्ष्य को न मानकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने में सख्त गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत के गवाहान की साक्ष्य के बारे में निर्णय में एक शब्द भी अंकित नही किया है। निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है।
2. अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में स्टाम्प विक्रेता मनोज कुमार नारंग की साक्ष्य का विवेचन किया है। मनोज कुमार नारंग ने वसीयत का स्टाम्प विक्रय करना बताया है और वसीयत का स्टाम्प दिनांक 30.12.2020 को क्रम संख्या 4082 पर 500/ का स्टाम्प दीपक खुराना को विक्रय करना और उदेश्य ईकरारनामा हेतू बैयान बताया है, इसी स्टाम्प पर दीपक खुराना ने दिनांक 04.01.2021 को वसीयत निष्पादित की है। स्टाम्प विक्रेता की साक्ष्य से दीपक खुराना को स्टाम्प विक्रय किया जाना साबित है। स्टाम्प क्रय करने के बाद और वसीयत लिखने के समय मृतक व अपीलांट की आपसी सामझ से वसीयत निष्पादित की है और इससे वसीयत संदिग्ध नहीं होती है बल्कि स्टाम्प विक्रेता की साक्ष्य से मृतक द्वारा स्टाम्प लिया जाना साबित होता है और उक्त स्टाम्प पर बरोबरू गवाहान निष्पादित वसीयत की पुष्टि होती है। अधीनस्थ न्यायालय ने स्टाम्प विक्रेता की साक्ष्य को अनावश्यक बल देकर प्रार्थना पत्र खारिज करने में सख्त गलती की है।
3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन प्रकरण में स्टाम्प विक्रेता को नोटिस देकर साक्ष्य हेतू बुलाया है और स्टाम्प विक्रेता की साक्ष्य को अनावश्यक बल दिया है। वसीयत साबित करने के लिए वसीयत के लेखक की साक्ष्य महत्वपूर्ण साक्ष्य थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को अतिरिक्त साक्ष्य देने हेतू दिनांक 21.10.2022 को पेशी निर्धारित की थी, अपीलांट दस्तावेज लेखक को लेकर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की अतिरिक्त साक्ष्य को रिकॉर्ड किये बिना ही प्रार्थी अपीलांट की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए प्रकरण का निर्णय कर अपीलांट के साथ घोर नाईसांफी की है। निर्णय अधीनस्थ न्यायालय हर सूरत में निरस्त किये जाने योग्य है।
4. यह कि अपीलांट अपीलाधीन भूमि पर काबिज है। मृतक को भूमि अपने दादा से वसीयत से प्राप्त हुई थी और मृतक द्वारा वसीयत अपीलांट के हक में कर देने से मृतक के पास कोई सम्पति नहीं थी, अधीनस्थ न्यायलाय ने विधिक वारिसान के नाम नामान्तरण दर्ज करने का अदेश दिया है। वसीयत के प्रभावी रहते हुए विधिक वारिसान के नाम नामान्तरण का आदेश कानूनन नहीं दिया जा सकता है। आदेश

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अधीनस्थ न्यायालय विधिक प्रक्रिया के विपरित पारित किया गया होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायलय दिनांक 21.10.2022 निरस्त किया जाकर अपीलांट के नाम वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त विवादित भूमि वाके चक 20 बी.बी. सैकिण्ड तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 82 हाल 36 में 23 बीघा 14 बिस्वा में 1/4 हिस्सा दीपक खुराना पुत्र श्री कृष्णलाल उर्फ किशनलाल का था। दीपक खुराना को उक्त भूमि अपने दादा स्व. लालचन्द पुत्र श्री कुशाल दास से वसीयत से प्राप्त हुई थी। दीपक खुराना ने अपने 1/4 हिस्से की वसीयत दिनांक 04.01.2021 को बरोबरू गवाहान पूर्ण होश, हवास से बिना जबर दबाव के अपीलांट के हक में निष्पादित की थी। उक्त वसीयत को नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवा दिया था। दीपक खुराना का स्वर्गवास दिनांक 17.08.2021 को होने से उक्त वसीयत प्रभावी हो गयी थी। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 05.08.2022 को उक्त वसीयत के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाने हेतू आवेदन पत्र पेश किया था। जिस पर प्रकरण संख्या दर्ज किया जाकर हल्का पटवारी से रिपोर्ट ली और आम सूचना प्रकाशित की, रिपोर्ट पटवारी में अपीलाधीन भूमि चक 20 बी.बी. सैकिण्ड के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 2 ता 25 की 5.996 हैक्टर नहरी भूमि में 1/4 हिस्सा मृतक दीपक खुराना पुत्र कृष्णलाल उर्फ किशन लाल का होना और भूमि पर अपीलांट के काबिज होने की रिपोर्ट की। अपीलांट ने साक्ष्य में वसीयत के दोनो गवाहान दिनेश कुमार व गौरव मिगलानी के बयान वसीयत की पुष्टि में करवाये। उक्त दोनो गवाहान से मृतक द्वारा वसीयत की जानी साबित थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से अपीलांट का वसीयत के आधार पर इंतकाल करवाने का प्रार्थना पत्र खारिज कर विधिक वारिसान के नाम नामान्तरण दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जो उचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पदमपुर का आदेश दिनांक 21.10.2022 निरस्त किया जाकर भूमि अपीलांट के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

रेसपोडेन्टस के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार भू-अभिलेख पदमपुर द्वारा प्रकरण संख्या 49/2022 में पारित आदेश दिनांक 21.10.2022 की पालना में दर्ज किय गये इन्तकाल संख्या 557 दिनांक 27.10.2022 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार पदमपुर द्वारा प्रकरण में विधिनुसार कार्यवाही संचालित कर बाद दोनों पक्षो की सुनवाई कर साक्ष्य लेखबद्व कर आदेश दिनांक 21.10.2022 को पारित किया गया। जब दोनो पक्षों को सुनवाई कर कोई आदेश पारित किया जाता है तो उसकी अपील सुनने का क्षेत्राधिकार श्रीगंगानगर अायुक्त महोदय, बीकानेर को है, अर्थात माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार , क्षेत्राधिकार में नहीं है। अतः अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न होने के कारण क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर अपील खारिज की जानी चाहिये।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा दौराने बहस निम्न नजीरें पेश की है

1.आर.आर.डी. 1997 पेज 127 130

2.आर.आर.टी. 2018 19 पेज 424 426

3.आर.आर.टी. 2010(2) पेज 1322 23

4.आर.बी.जे. 2020 पेज 1 5

5.आर.आर.टी.ऋ. 2016 (1) पेज 726 727

6.इस न्यायालय का निर्णय प्रति अपील संख्या 06 / 2016

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, पदमपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 21.10.2022 दोनों पक्षों को सुनकर पारित किया गया है इसलिए हस्तगत अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न होकर मा0 संभागीय आयुक्त, बीकानेर को है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से पाया गया कि अपीलाधीन आदेश 21.10.2022 तहसीलदार पदमपुर द्वारा पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने प्रार्थना पत्र दिनांक 04.08.2022 को प्रस्तुत कर वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने की प्रार्थना की थी। इसके बाद रेस्पोडेन्ट दीक्षा सेतिया पत्नी दीपक खुराना ने दिनांक 17.10.2022 को अपनी आपत्ति पेश की है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दोनों पक्ष उपस्थित हो गए हैं और एक पक्ष द्वारा आक्षेप कर देने से अपीलाधीन **इंतकाल विवादित हो गया है।** इस प्रकार अपीलाधीन इंतकाल के विवादित हो जाने के कारण अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार धारा 135(2) के अन्तर्गत इस न्यायालय को नहीं है।

मा0 राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा आर बी जे (4)1997 पेज 198 मे अभिनिर्धारित किया है कि Rajasthan Land Revenue Act 1956 - Section 135[2] In Case of Disputed Mutation- Appeal will lie before the Commissioner.

शासन के परिपत्र सं0 एफ 6 (21) रेवन्यू/ जीआर /4/ 87/ 29 जीएसआर/60 दिनांक 20 6 87 द्वारा डायरेक्टर लेण्ड रिकार्ड की शक्तियाँ माननीय संभागीय आयुक्त को है।

इस प्रकार, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, पदमपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश आक्षेप के संदर्भ में दोनों पक्षों को सुनकर पारित किया गया है जो धारा 135(2) राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम की परिधि में होने से हस्तगत अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार मा0 संभागीय आयुक्त, बीकानेर को है। अतः हस्तगत अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में न होने से अपीलार्थी को लौटाई जाती है। आदेश की प्रति पालनार्थ सम्बन्धित तहसीलदार रायसिंहनगर को भिजवाई जावे एवं रिकार्ड लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 12.09.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)

अति0 जिला कलक्टर

(प्रशासन) श्रीगंगानगर